

 	<p style="text-align: center;">राष्ट्रीय अकादमी सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स आंचलिक परिसर, लखनऊ NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS, Zonal Campus, Lucknow</p> <p>Email: Nacin.Lucknow@gov.in Phone No. 0522-2989319</p>
--	--

सार्वजनिक सूचना संख्या -RTI/01/2026 / (Public Notice No. RTI/01/2026)

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड के पत्र दिनांक 12.11.2007 के साथ पठित F.No. 296/115/2007 CX-9, निम्नलिखित अधिकारी को नासिन जोनल कैम्पस, लखनऊ के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया जाता है-

In Accordance with the provisions of Section 5(1) of RTI Act, 2005 read with the Board's letter dated 12.11.2007 issued vide F.No. 296/115/2007 CX-9, the following officer is hereby appointed/designated as Central Public Information Officer (CPIO) for NACIN Zonal Campus, Lucknow-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्व/श्री)	पद	कार्यलय का पता
01	नवेन्दु कुमार दास, सहायक निदेशक Navendu Kumar Das, Assistant Director	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी / Central Public Information Officer (CPIO)	राष्ट्रीय अकादमी सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स, आंचलिक परिसर, लखनऊ अप्रत्यक्ष कर भवन, ए-ब्लॉक, पाँचवा और छठा तल विभूति खंड, गोमती नगर लखनऊ-226010 फोन नंबर 0522-2989319 National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Zonal Campus Lucknow Apratyakshkar Bhawan, A-Block, 5th & 6th Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Phone No. 0522-2989319

(Note: The User ID & Password to access the portal will be shared on E-mail ID by previous CPIO Officer.)

2. कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी, जोनल कैम्पस, लखनऊ से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वह उपर्युक्त सीपीआईओ से लिखित रूप में या अंग्रेजी या हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से निर्धारित शुल्क के साथ अनुरोध करेगा और विवरण या मांगी गई जानकारी को निर्दिष्ट करेगा।

2. Any person who desires to obtain any information relating to the National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Zonal Campus, Lucknow shall make a request to the above-mentioned CPIO in writing or through electronic means in English or Hindi accompanied by the prescribed fee and specifying the particulars or the information sought.

3. अवकाश/प्रशिक्षण आदि पर सीपीआईओ की अनुपस्थिति में सम्बंधित लिंक अधिकारी या सम्बंधित अनुभाग के पद का प्रभार देखने वाला अधिकारी स्वतः रूप से सीपीआईओ होगा।

3. During the leave/Training of CPIO, the link officer concerned or the officer who will

look after the charge of the post of the concerned section would automatically be CPIO.

यह प्रधान अपर महानिदेशक, नासिन जौनल कैपस, लखनऊ के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

This issue with the approval of Pr. ADG NACIN ZC Lucknow.

नेहा लाल/Neha Lal
अपर निदेशक/Additional Director

प्रतिलिपि /Copy to:

1. सम्बंधित अधिकारी, नासिन लखनऊ /Officers Concerned, NACIN Lucknow
2. नोडल अधिकारी, आरटीआई अनुभाग, नासिन पालासमुद्रम-सूचनार्थ एवं आरटीआई पोर्टल पर आवश्यक परिवर्तन करने के लिए /Nodal Officer, RTI Section, NACIN Palasamudram for information & Necessary change in RTI Portal
3. सहायक निदेशक, प्रणाली अनुभाग, नासिन पालासमुद्रम-नासिन की वेबसाइट पर अपडेट करने के लिए / Assistant Director, System, NACIN Palasamudram for uploading on NACIN's Website
4. नोटिस बोर्ड /Notice Board.